अष्टादश बिहार विधान सभा

तृतीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम–104(3) के अन्तर्गत दिनांक–23.07.2026 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्री विमल राजवंशी, स०वि०स०	बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा कोरोना काल में लागू की गई माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रश्नों की अपेक्षा लगभग दोगुने विकल्प देने की व्यवस्था आज भी जारी है, जबकि कोरोना काल समाप्त हुए वर्षों बीत चुके हैं। इस व्यवस्था के कारण अधिकांश विद्यार्थी पूरे पाठ्यक्रम का अध्ययन करने के बजाय सीमित सिलेबस की तैयारी कर परीक्षा उत्तीर्ण हो रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रूचि, विषयों की गहन समझ तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता प्रभावित हो रही है। सरकार एक ओर प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान कर रही है, वहीं दूसरी ओर यह परीक्षा पद्धति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के उद्देश्य को कमजोर कर रही है। देश के अधिकांश राज्यों में ऐसी व्यवस्था लागू नहीं है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सीमित विकल्प एवं कड़ी प्रतिस्पर्धा होती है। जबकि वर्तमान प्रणाली विद्यार्थियों में आसान विकल्प चुनने की प्रवृति बढा रही है जिसका प्रतिकुल प्रभाव उनके उच्च शिक्षा, प्रतियोगिता परीक्षाओं तथा भविष्य के रोजगार पर पड़ सकता है। अतएव बीएसईबी की इस परीक्षा प्रणाली की समीक्षा कर दोगूने विकल्प की व्यवस्था समाप्त कर पूर्ववत गुणवत्तापूर्ण एवं प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा पद्धति लागू करने हेतु मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	शिक्षा विभाग

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
	2. श्री आलोक कुमार सिंह स०वि०स०	जिस प्रकार पैक्स एवं एसएफसी द्वारा धान की खरीद की जाती है, उसी प्रकार किसान उत्पादक संगठन (Farmer Producer Organisation- FPO) को भी धान खरीदने की अनुमति प्रदान कर छोटे–छोटे किसानों को उनकी फसल का उचित एवं लाभकारी मूल्य दिलाने तथा बिचौलियों के शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	सहकारिता विभाग

(पूनम सिन्हा)
प्रभारी सचिव
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–22/2026 1026 /वि०स०, पटना, दिनांक– 22 जुलाई 2026 ई०।

प्रति :– माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–22/2026 1026 /वि०स०, पटना, दिनांक– 22 जुलाई.2026 ई०।

प्रति :– माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/माननीय उप मुख्यमंत्रीगण, के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रीगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रीगण एवं मंत्रीगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–22/2026 1026 /वि०स०, पटना, दिनांक–22 जुलाई..2026 ई०।

प्रति :– मुख्य सचिव, बिहार/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार/ सचिव, बिहार विधान परिषद्/ महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय/संसदीय कार्य विभाग/शिक्षा विभाग/सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप सं०–ध्या०प्र०–22/2026 1026 /वि०स०, पटना, दिनांक– 22 जुलाई.2026 ई०।

प्रति :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

(अमितेष रंजन)
अवर सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना।